भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 78**

दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तरार्थ

**शासन का विकेन्‍द्रीकरण**

78. श्री अविनाश पांडे :

 क्‍यापंचायती राज मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

1. क्‍या सरकार पंचायती राज संस्‍थाओं को अधिक शक्‍तियां प्रदान करके शासन का विकेन्‍द्रीकरण करने की योजना बना रही है ;
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और
3. यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है ?

**उत्‍तर**

**पंचायती राज, राज्‍य मंत्री**

**(श्री निहाल चंद)**

 (क) एवं (ख) सभी राज्‍यों व संघ राज्‍य क्षेत्रों, जिनमें भारत के संविधान का भाग IX के प्रावधान लागू हैं, के अपने-अपने पंचायती राज विधान हैं, जो विभिन्‍न स्‍तरों पर पंचायतों को शक्‍तियों व कार्यों का अंतरण का प्रावधान करते हैं। तथापि, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के बीच वास्‍तविक अंतरण की मात्रा में असमानता है। विधान के माध्‍यम से पंचायती राज संस्‍थाओं को राज्‍यों व संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले और संविधान की ग्‍यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों के ब्‍यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय राज्‍य सरकारों से पंचायतों को शक्‍तियां अंतरित करने के लिए लगातार आग्रह करता रहा है एवं पंचायतों के क्षमता निर्माण हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता उपलब्‍ध कराता रहा है, जिससे कि वे अंतरित कार्यों का निष्‍पादन प्रभावी रूप से व सक्षमता से करने में समर्थ हो सकें। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को शक्‍तियां अंतरित करने हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को प्रोत्‍साहित भी करता है और प्रत्‍येक राज्‍य में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को पुरस्‍कृत करता है।

राजीव गांधी पंचायत सशक्‍तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) की स्‍कीम के तहत निधियों की 20 प्रतिशत राशि को पंचायतों को शक्‍तियां अंतरित करने, समर्थकारी नीतिगत ढांचे का निर्माण करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के संबंध में राज्‍यों के कार्यनिष्‍पादन से जोड़ा गया है।

(ग) प्रश्‍न नहीं उठता।

**\*\*\*\*\*\*\***

**अनुबंध**

**ग्‍यारहवीं अनुसूची**

**(अनुच्‍छेद 243छ)**

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्‍तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्‍वयन, चंकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्‍कुट-पालन।
5. मत्‍स्‍य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्रामीद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्‍य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्‍यमिक विद्यालय भी है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्‍यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्‍तकालय।
21. सांस्‍कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता, जिनके अंतर्गत अस्‍पताल, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और औषधालय भी है।
24. परिवार कल्‍याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्‍याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्‍यक्‍तियों का कल्‍याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्‍टताया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्‍याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्‍तियों का अनुरक्षण।